न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 05/2011

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्रीमती हउवादेवी पत्नी सांवलाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत पचपदरा जरिये सरपंच पचपदरा 2. देवीसिंह पुत्र भंवरलाल जाति खारवाल निवासी पचपदरा हाल रेल्वे स्टेशन के पास समदड़ी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 68 दिनांक 20.7.2009 जो ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 देवीसिंह के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. श्री अम्बालाल जोशी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री धनराज जोशी अधिवक्ता विप्रार्थी सख्या 02 की ओर से।
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 06.01.2017

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 20.7.2009 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को भूखण्ड का पट्टा संख्या 68 दिनांक 20.7.2009 जारी किया गया। जबकि इसी भूखण्ड पर प्रार्थीनी का विगत 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। इस भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थीनी द्वारा ग्राम पंचायत पचपदरा को वर्ष 2001 में आवेदन किया गया एवं निर्धारित शुल्क भी जमा करवा दिया गया। विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थीनी के कब्जे वाले भूखण्ड का पट्टा संख्या 68 दिनांक 20.7.2009 फर्जी तरीके से विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत 200/– रूपये शुल्क जमा कर, जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी करने में विप्रार्थी संख्या

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

01 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में उल्लेखित नियम 157 का उल्लंघन किया गया हैं। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से सम्पादित करते हुए नियमों की पूर्णतया अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 02 को लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से पट्टा संख्या 68 जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत पचपदरा से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री धनराज जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. विप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नोटिस का जवाब पेश करते हुए वादग्रस्त भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 02 व उसके पिता भंवरलाल का कब्जा व निवास होना बताया। प्रार्थीनी की ओर से वर्ष 2001 में जिस भूखण्ड के लिये पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन करना दर्शाया है, वह भूखण्ड वादग्रस्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में 20 फिट रास्ते के सामने की ओर स्थित है, जिस पर प्रार्थीनी का मकान बना हुआ है एवं निवास कर रही है। प्रार्थीनी द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया है। ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा नियमों में उल्लेखित निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 28.7.2009 को पट्टा जारी किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है।

5. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि प्रार्थीनी द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु वर्ष 2001 में आवेदन किया गया था, जिसका शुल्क जमा कराने हेतु ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा दिनांक 29.11.2001 को प्रार्थीनी को नोटिस जारी किया तथा प्रार्थीनी द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 60/– रसीद संख्या 1054 दिनांक 17.12.2004 के द्वारा ग्राम पंचायत पचपदरा में जमा करवाये गये थे। तत्पश्चात् दिनांक 28.7.2009 को विप्रार्थी संख्या 02 को उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि विप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा इस भूखण्ड पर कभी नहीं रहा। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा गलत तरीके से पट्टा जारी किया गया। उन्होने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीनी द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र विप्रार्थी संख्या 02 से पूर्व किया गया एवं निर्धारित शुल्क भी जमा करवा दिया गया परन्तु पट्टा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने डीएनजे 2015(1) पेज 443 एवं डीएनजे 2015(2) पेज 595 के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर विप्रार्थी संख्या 02 को ग्राम पंचायत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पचपदरा द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 68 दिनांक 20.7.2009 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. विप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पचपदरा के भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा पत्रावली कायम कर मौका निरीक्षण करने का आदेश एवं प्रस्ताव पारित किया। आपत्तियॉ पेश करने हेतु एक माह का नोटिस जारी किया गया, उसके पश्चात् कोई उजरदारी पेश नहीं हुई। मौका कमेटी की अनुशंषा के आधार पर ग्राम पंचायत पचपदरा ने सर्वसम्मति के आधार पर प्रस्ताव पारित कर विप्रार्थी संख्या 02 को नियम 157 (क) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीनी का इस भूखण्ड पर किसी प्रकार का स्वामित्व भी हासिल नहीं है, जिससे प्रार्थीनी को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि प्रार्थीनी द्वारा केवल आवेदन पत्र देने से विवादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा साबित नहीं होता है। विप्रार्थी संख्या 02 को विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किया गया है। निगरानी में प्रार्थीनी द्वारा ऐसा कोई नियम नही बताया गया, जिसकी अवहेलना की जाकर विप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा संख्या 68 दिनांक 20.7.2009 जारी किया गया। प्रार्थीनी द्वारा कथित आवेदन पत्र में जो पड़ौस दर्शाये गये है वे ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को जारी किये गये पट्टे से मेल नहीं खाते है। प्रार्थीनी द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड पर अपना कब्जा 40 वर्षो से होना बताया जा रहा है परन्तु प्रार्थीनी के वकील द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीनी का 40 वर्षो से इस भूखण्ड पर कब्जा हैं। ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 68 जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नहीं रही है। इसलिए प्रार्थीनी की निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत पचपदरा के रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीनी का यह कथन कि विप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा की भूमि पर उसका कब्जा है। उसके द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत पचपदरा के समक्ष वर्ष 2001 में आवेदन किया गया था एवं निर्धारित शुल्क के रूप में रूपये 60/– जरिये रसीद संख्या 1054 दिनांक 17.12.2004 से ग्राम पंचायत पचपदरा में जमा करवाये गये। इसके बावजूद भी विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा विप्रार्थी संख्या 02 को गलत तरीक

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

से कर दिया गया। उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर वर्तमान में उसका कब्जा एवं निवास है। निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है, ऐसी स्थिति में इस बिन्दू के निर्धारण का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थीनी का यह कथन कि विप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्व तरीके से जारी किया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत पचपदरा की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत पचपदरा के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। इस आवेदन पत्र के साथ नक्शा भी पेश किया गया। सरपंच ने इस आवेदन पत्र को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये एवं मिसल कायम की गई। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए एवं मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में वर्णित बिन्दूओं पर अपनी रिपोर्ट दी। तत्पश्चात नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप मे एक माह का नोटिस जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई, परन्तु किसी भी व्यक्ति ने इस संबंध मे कोई आपत्ति ग्राम पंचायत पचपदरा के समक्ष पेश नहीं की। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.7.2009 पारित कर नियम 157(1)(क) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। इन नियमों के परिपेक्ष्य में विप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा मे दर्शाये गये पड़ोस व नाप एवं रहवास के अनुरूप ग्राम पंचायत पचपदरा ने विप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 28.7.2009 को पट्टा संख्या 68 जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम पंचायत पचपदरा ने निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर, नियमों में अंकित प्रावधानों को ध्यान मे रखते हुए विप्रार्थी संख्या 02 के हक में नियम नियम 157 (क) के तहत संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.7.2009 के अनुसरण में दिनांक 28.7.2009 को पट्टा संख्या 68 जारी किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता एवं त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीनी की निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 06.01.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)